

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लैब टेक्नीशियन/1142/2019/221

दिनांक : 10-04-19

संशोधन आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/लैब टेक्नीशियन/1142/2018/17 दिनांक 09.01.2019 के क्र.स. 11 पर अंकितानुसार श्री किशोर लाल, लैब टेक्नीशियन का 18 वर्ष का एसीपी स्वीकृति के आदेश जारी किये गये थे, इनके नाम में आंशिक संशोधन करते हुये श्री किशोर लाल के स्थान श्री किशोरी लाल पढा जावें।

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

ई

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लैब टेक्नीशियन/1142/2018/221

दिनांक : 10-04-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अधीक्षक, पी.बी.एम. एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर।

2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।

3. श्री किशोरी लाल, लैब टेक्नीशियन को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।

4. आदेश/निजी पत्रावली।

न

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

राजस्थान जयपुर